न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री/टीए/11426/2000/पाली .

1– गंगा पुत्री पाबूदान(मृतक) जरिए वारिसानः–
1/1 शैतानसिंह पुत्र पूरसिंह
1/2 कमला पुत्री पूरसिंह
1/3 हस्तू पुत्री पूरसिंह
2– फूली पुत्री पाबूदान
3– गुमानसिंह पुत्री पाबूदान(मृतक) जरिए कायममुकामः–
3/1 मु0 ढगलीकंवर बेवा गुमानसिंह
3/2 कमला कंवर
3/3 राजूसिंह
3/4 श्यामसिंह
3/5 परबतसिंह
3/6 प्रेमसिंह
3/7 जमनाकंवर
पुत्र/पुत्री गुमानसिंह
समस्त जाति राजपुरोहित निवासी इन्दरवाडा तहसील रानी जिला पाली।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1– देवीसिंह पुत्र सोहनसिंह निवासी 10 ग्रीन पार्क कॉलेज रोड सावित्री नगर इण्डियन ओवरसीज बैंक, 6 पी 8 वसई वेस्ट मुम्बई।
2– मेघसिंह पुत्र सोहनसिंह निवासी 138/1 गोविन्द दपा व्हीकल स्टेट सिंगापुर मार्केट रूट नंबर 25 मद्रास–1
3– नारायणसिंह पुत्र सोहनसिंह मेसर्स वितक्रय ऑटोमोबाईल पेट्रोल पम्प के सामने गांव पोस्ट रेवदर जिला सिरोही
4– हरीशचंद पुत्र सोहनसिंह निवासी इन्दरबाडा तहसील देसूरी जिला पाली।
5– समन्दरकंवर बेवा गोरधनसिंह
6– नीला पुत्री गोरधनसिंह
7– शैतानसिंह पुत्र गोरधन सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी इन्दरबाडा तहसील देसूरी जिला पाली।
8– राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
मंजू राजपाल, सदस्य
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अभिभाषक अपीलाण्ट्स। ।
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ।

निर्णय

दिनांक 11–4–2022

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–10–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी संख्या 1 व 2 ने अपीलाण्ट संख्या 3 व रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 6 हरीशचन्द्र नाबालिग है, जिसका वली उसका पिता श्री सोहनसिंह है तथा नाबालिग की परवरिश करते है । अपीलाण्ट/वादी के पिता पाबूदान का स्वर्गवास हुए 10 वर्ष होने से बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलाण्ट संख्या 1 , 2 व अपीलाण्ट संख्या 3 गुमानसिंह धापू बेवा पाबूदान व गोरधन सिंह पुत्र पाबूदान उनकी सम्पत्ति के वारिस है । पाबूदान के स्वर्गवास के बाद उक्त सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा हुआ एवं उसी अनुसार नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 8–10–73 स्वीकृत किया गया। किन्तु इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2034 से 2036 में अपीलाण्ट संख्या 3 गुमानसिंह, धापू बेवा पाबूदान व गोरधनसिंह पुत्र पाबुदान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। इसलिए अपीलाण्ट संख्या 1, 2 व 3 और रेस्पोडेण्ट संख्या 5 से 7 के नाम 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी गोरधन द्वारा अपने 1/3 हिस्सा बताकर दिनांक 17–10–81 को रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम बेचान कर दिया जिसकी प्रतिफल राशि नहीं लेने व कब्जा नहीं लेने के कारण यह बेचान बेअसर है । अतः मौजा इन्दरवाडा में विवादित खसरा नंबर 175/1 व खसरा नंबर 172 का कुल रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा का 1/5–1/5 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी को घोषित कर प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे । उक्त दावे का जबावदावा अपीलाण्ट संख्या 3 व रेस्पो संख्या 5 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत किया गया और कथन किया कि दावा सही है एवं जो इकरारनामा हुआ है वह बिना प्रतिफल के व कब्जे के हुआ है। अतः प्रतिवादी को अस्थाई निषेधज्ञाा से पाबंद किया जावे । शेष प्रतिवादीगण की ओर से भी जबावदावा प्रस्तुत किया गया कि वाद मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज किया जावे।

दावे व जबावदावे के आधार पर 10 तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है–

1– क्या वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 मृत पाबूदान के उत्तराधिकारी है ? वादी

2– क्या सरहद इन्दरवाडा तहसील देसरी में मृत पाबूदान की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 175/1, 175, 172 कुल रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा

स्थित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा घोषणात्मक खातेदारी हकूक की डिक्री पाने के अधिकारी है । वादी

3– क्या लिखित बेचान दिनांक 17–10–81 जो प्रतिवादी गोरधनसिंह ने अपना 1/3 हिस्सा वादग्रस्त जमीन व बेरे में बताकर किया है वह बिना प्रतिफल के होने से वादीगण के खिलाफ बेअसर है ? प्रतिवादी

4–क्या वादीगण इस उमर की आज्ञाप्ति प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 के खिलाफ पाने के अधिकारी है कि वे वादग्रस्त जमीन व बेरे में दखलदांजी नहीं करे। प्रतिवादी

5– क्या वादीगण का वाद कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है । प्रतिवादी

6– क्या वादीगण का कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि का नहीं होने से वाद बाबत घोषणात्मक मेन्टेनेबल नहीं है । प्रतिवादी

7– क्या नारायणसिंह पुत्र सोहनसिंह निवासी इन्दरवाडा में आवश्यक पक्षकार है ? प्रतिवादी

8– क्या प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 का कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर 12 वर्ष से अधिक समय से होने से एडवर्स पजेशन है सिजमें वीदगण का वाद काबिल खारिज है । प्रतिवादी

9– क्या प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 विशेष खर्चा के रूप्ये 1000 पाने के अधिकारी है ? प्रतिवादी

10– सहायता अगर कोई हो ?

सहायक कलेक्टर, देसूरी ने अपने निर्णय दिनांक 21–4–94 द्वारा अपीलाण्ट/वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री जारी कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी 4 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–10–2000 द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 21–9–94 निरस्त कर दिया । प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील पर सुनी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत

है । उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी गोरधन का वाद के दौरान मृत्यु हो चुकी थी और गोरधन ने इकबाली जबावदावा प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में उसके कायममुकाम को रेकार्ड पर नहीं लेने से विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि शून्य नहीं माना जा सकता है । तनकी नंबर 1 व 2 साक्ष्य विश्लेषण के बाद अपीलाण्ट के पक्ष में तय की गई है। ऐसी स्थिति में बिना किसी साक्ष्य के अपीलीय न्यायालय द्वारा पाबूदानसिंह की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद मानने में त्रुटि कारित की है। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण की अपील नहीं किए जाने के बिन्दु पर अपील को खारिज किया है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद विवादित भूमि अपीलाण्ट को प्राप्त हुई है। नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किए जाने से उत्तराधिकारिता में मिले अधिकार समाप्त नहीं होते हैं । विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया है । भूमि अविभाजित है एवं रेस्पोडेण्ट की स्थिति एक अजनबी खरीददार की है। जिसको तकासमा का वाद लाए बिना अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में अपील करने का अधिकार नहीं है । अपीलीय न्यायालय ने बिना अभिलेख का अवलोकन एवं साक्ष्य का परीक्षण किए ही निर्णय दिनांक 30–10–2000 द्वारा रेस्पोडेण्ट की अपील स्वीकार की है, जो निरस्त योग्य है । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय यथावत रखा जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(1) पृष्ठ 43, 347, आर.बी.जे. 2005 पृष्ठ 4, आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 298 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विवादित रकबा पाबूदान की मृत्यु होने पर उनके तीनों पुत्रों के नाम बराबर हिस्से में दर्ज होने पर गोरधन सिंह द्वारा दिनांक 17–10–81 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए विवादित रकबा विक्रय कर कब्जा सौंप दिया गया । नामान्तरकरण भी पाबूदान के तीनों पुत्रों व बेवा धापू के नाम स्वीकृत किया गया । पाबूदान की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व होने से कारण लडकियों का कोई हक नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में2021 आर.बी.जे. पृष्ठ 187, आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 423, डी.एन.जे. 2009 एससी पृष्ठ 232, डी.एन.

जे. 2017 एससी पृष्ठ 415, डी.एन.जे. 2014 पृष्ठ 260 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए ।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7– हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलाण्ट संख्या 3 व रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 का दिनांक 7–6–82 को प्रस्तुत किया जिसमें अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 3 गुमानसिंह द्वारा इकबाली जबावदावा में यह कथन किया है कि अपीलण्ट/वादी का वाद सही है, क्योंकि पाबूदान की मृत्यु के बाद सभी सहखातेदार का 1/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। इसी अनुसार नामान्तकररण 175 में पुत्रों के साथ पुत्रियों का भी नाम दर्ज है किन्तु जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 में पुत्रियों का नाम हटाकर केवल मु0 धापू बेवा पाबूदान , गुमानसिंह, गोरधनसिंह पि0 पाबुदान सा0 देह दर्ज कर दिया। उक्त इन्द्राज के आधार पर गोरधनसिंह द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया। जबकि मौके पर प्रतिवादी का किसी भाग पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार दावे व इकबाली जबावदावे के आधार पर यह साबित होता है कि अपीलाण्ट का भी हक पाबूदान की सम्पत्ति में जन्म से ही निहित था । रेस्पोडेण्ट संख्या 1से 4 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो जबादावा प्रस्तुत किया गया है उसमें यह स्वीकार किया गया है कि अपीलाण्ट/वादीगण मु0 गंगा व फूली मृत पाबूदान की पुत्रियां है एवं पाबूदान की सम्पत्ति पैतृक अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार सहदायिकी की रही है एवं सहखातेदारों भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का विभाजन से पूर्व प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। रेस्पोडेण्ट की स्थिति एक पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर सहखातेदार की भूमि के हिस्से की भूमि को क्रय करने के आधार पर वाद में एक अजनबी केता की है जिसके अधिकार व हिस्सा सहखातेदारों के मध्य खातेदारी घोषणा के अधिकारों के बाद तय होगा । रेस्पोडेण्ट द्वारा भूमि का क्रय सहखातेदारों की अविभाजित सम्पत्ति में से क्रय किया है । अपीलाण्ट को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पाबूदान की सम्पत्ति में हिस्सा लेने बाबत अधिकारों की घोषणा चाही गई । राजस्व अपील प्राधिकारी का यह अंकन किया जाना कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है । यह संवहनीय नहीं है, क्योंकि परीक्षण न्यायालय की

पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27-8-1991 को प्रतिवादी संख्या 3 गोरधनसिंह के मृत्यु होने की सूचना अंकित है तथा दिनांक 18-11-91 को कायममुकामान प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया है । विचारण न्यायालय ने केवल निर्णय लिखते समय इस तथ्य का अंकन नहीं किया है । अतः इस आधार पर अपील को स्वीकार करने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने दावे व जबावदावे व तनकियात कायम कर अपीलाण्ट/वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री कर सरहद ग्राम इन्दरवाडा में स्थित खसरा नंबर 175/1, 175, 172 कुल रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा में वादीगण एंव प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 7 अर्थात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 का 1/5 हिस्सा दर्ज करने की डिक्री जारी की है । जहाँ तक रेस्पोडेण्ट का यह कथन कि पाबूदान की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो चुका था इस संबंध में अपीलाण्ट के अधिकार विवादित भूमि में जन्म से ही है। इस संबंध में 2020 (3) डी.एन.जे. (एससी) पृष्ठ 817 उनवानी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि -

63. Considering the principle of coparcenary that a person is conferred the rights in the Mitakshara coparcenary by birth, similarly, the daughter has been recognised and treated as a coparcener, with equal rights and liabilities as of that of a son. The expression used in section 6 is that she becomes coparcener in the same manner as a son. By adoption also, the status of coparcener can be conferred. The concept of uncodified Hindu law of unobstructed heritage has been given a concrete shape under the provisions of section 6(1)(a) and 6(1)

(b). Coparcener right is by birth. Thus, it is not at all necessary that the father of the daughter should be living as on the date of the amendment, as she has not been conferred the rights of a coparcener by obstructed heritage. According to the Mitakshara coparcenary Hindu law, as administered which is recognised in section 6(1), it is not necessary that there should be a living, coparcener or father as on the date of the amendment to whom the daughter would succeed. The daughter would step into the coparcenary as that of a son by taking birth before or after the Act. However, daughter born before can claim these rights only with effect from the date of the amendment, i.e., 9.9.2005 with saving of past transactions as provided in the proviso to section 6(1) read with section 6(5).

129. Resultantly, we answer the reference as under:

(i) The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities.

(ii) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December, 2004.

(iii) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.

उक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि पुत्रियाँ भी पुत्र के समान जन्म से पैतृक सम्पत्ति में हकदार हैं और उनको धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनको प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । विचारण न्यायालय के समक्ष सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपीलाण्ट/वादी का वाद सिद्ध मानकर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी 1 व 2 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी 4 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया है, जो एक विधिसम्मत आदेश है। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने ऐसी विधिसम्मत डिक्री को एक अजनबी क्रेता के विक्रय पत्र के आधार पर सहखातेदारों की जमीन क्रय किए जाने के आधार पर सहखातेदारों के मध्य डिक्री को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि कारित की है । राजस्व अभिलेखों से पैतृक सम्पत्ति साबित है । सहदायिकी सम्पत्ति में स्वतः ही कब्जा सभी सदस्यों का माना जाता है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निरस्त करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः अपील स्वीकार योग्य है ।

8- उक्त विवेचन के आधार पर एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील स्वीकार की जाती हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय दिनांक 30-10-2000 निरस्त किया जाता है। सहायक कलेक्टर, देसूरी का निर्णय दिनांक 21-9-94 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य

(मंजू राजपाल)
सदस्य